# जैविक खेती प्रोत्साहन योजना 2016–17 अन्तर्गत (पक्का केंचुआ खाद इकाई) के कार्यान्वयन हेतु अनुदेश।

उद्देश्यः– रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी की संरचना खराब हो रही है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को अक्षुण्ण बनाये रखने एवं टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक खेती के रूप में वर्मी कम्पोस्ट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना करने वाले किसानों को अनुदान राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य रासायनिक खादों पर से निर्भरता कम करना तथा वर्मी कम्पोस्ट किसानो द्वारा स्वयं उत्पादित करने हेतु प्रोत्साहित करना है। वर्मी कम्पोस्ट के उपयोग से खेती लागत में कमी आयेगी तथा भूमि की उर्वरा शक्ति अक्षुण्ण रहती है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य की भी पूर्त्ति हो सकेगी।

## वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन योजना एवं अनुदान–

जैविक खेती प्रोत्साहन योजनान्तर्गत ग्राम स्तर पर वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन किसान पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई से कर सकते है, जो निम्न प्रकार से है–

### पक्का वर्मी कम्पोस्ट निर्माण इकाईः–

(क) वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन हेतु ईट का स्थायी रूप से पीट तैयार किया जायेगा। पीट का आकार 10'X3'X2.5'=75 घन फुट का होगा। दीवार की मोटाई 5" से कम नहीं होना चाहिए। पक्का वर्मी कम्पोस्ट को पूरी तरह से वर्षारोधी छप्पर (फूस छप्पर, करकट अथवा अन्य) से ढ़कना आवश्यक होगा। मात्र प्लास्टिक का छप्पर मान्य नहीं होगा।

(ख) पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण पर लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 3000 रू. प्रति इकाई की दर से अनुदान देय है। एक किसान को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 05 पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई हेतु ही अनुदान दिया जा सकेगा।

### (1) आवेदन :–

(क) योजना कार्यान्वयन "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर किया जायेगा।

(ख) ईच्छुक किसान ऑन–लाईन आवेदन पत्र देंगे। ऑन–लाईन आवेदन नहीं हो पाने की दशा में ऑफ–लाईन भी आवेदन लिये जा सकेंगे।

(ग) ऑन लाईन आवेदन करने की प्रक्रिया–

किसान नीचे अंकित प्रक्रिया के तहत् ऑन–लाईन आवेदन करेंगे। किसान ऑन–लाईन आवेदन पत्र स्वयं अथवा प्रखंड में उपलब्ध कार्यपालक सहायक/वसुधा केन्द्र/साईबर कैफे आदि के माध्यम से भी कर सकते हैं।

i. आवेदन देने हेतु कृषि विभाग के वेबसाईट www.krishi.bih.nic.in पर जाकर KRISHIMIS लिंक पर क्लिक करें।

ii. सर्वप्रथम अपना निबंधन कराने हेतु Farmer Registration लिंक पर क्लिक करें।

iii. Farmer Registration Form को पूर्ण रूपेण भरकर Submit पर क्लिक करें।

iv. इससे एक Unique Registration Number Generate होगा (कृपया इस नम्बर

को संभाल कर रखें)।

v. अब Apply Subsidy बटन पर क्लिक करें।

vi. भूमि का विवरण एवं अन्य वांछित सूचनाएँ भरकर, Organic Farming योजना के तहत् वर्मी कम्पोस्ट के अंतर्गत पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई इनपुट सेलेक्ट कर Submit बटन दबायें।

vii. इसके आधार पर एक पावती Generate होगा।

viii. उक्त प्रक्रिया पूरी कर किसान पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई के लिए अनुदान का लाभ लेने हेतु आवेदन कर सकते हैं।

(घ) आवेदन ऑन–लाईन नहीं होने की स्थिति में किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक द्वारा आवेदन पत्र ऑफ–लाईन प्राप्त किया जायेगा तथा आवेदन पत्र प्रखंड कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। किसान वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई स्थापना करने के लिए विहित प्रपत्र–01 में आवेदन स्वअभिप्रमाणित पहचान पत्र यथा मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/किसान केडिट कार्ड आदि संलग्न करेंगे। प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रखंड स्तर पर नीचे अंकित प्रपत्र में पंजी का संधारण किया जायेगा ताकि लाभार्थी की वरीयता सुनिश्चित हो सके।

| आवेदन का क्रमांक सं0 | लाभार्थी किसान का नाम तथा पिता/पति का नाम | ग्राम, | पंचायत | पहचान पत्र | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

(ड.) जिलों में सामान्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के श्रेणी के लाभार्थियों की जनसंख्या के आधार पर जिलावार घटक योजनावार लक्ष्य का निर्धारण किया गया है इसे अपने जिला में प्रखंडवार जनसंख्या के आधार पर प्रखंडवार लक्ष्य विखंडित करना सुनिश्चित किया जाय।

(च) जिला में अनुसूचित जनजाति के किसान/लाभार्थी नहीं मिलने की स्थिति में अनुसूचित जनजाति के लक्ष्य को अनुसूचित जाति में स्थानान्तरित किया जा सकता है। परन्तु संबंधित जिला/प्रखंड कृषि पदाधिकारी को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके जिला/प्रखंड में इस योजनान्तर्गत लाभ लेने से वंचित/इच्छुक नहीं है।

(छ) वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन के लिए अनुदान का लाभ खेती के साथ गोबर उत्पादन करने वाले पशुओं को पालने वाले किसानों को ही देय होगा। मात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में इस कंडिका को शिथिल किया जा सकेगा।

(ज) एक किसान को पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई हेतु अधिकतम 10 इकाई के लिए अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु एक किसान को एक वित्तीय वर्ष में 05 इकाई के लिए ही अनुदान देय होगा। जिन कृषकों को वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण हेतु पूर्व में किसी भी योजना (आर०के०भी०वाई०; आईसोपोम, एन०एच०एम० आदि) से लाभ मिल चुका है, वैसे किसानों को वर्मी कम्पोस्ट

उत्पादन के लिए पूर्व में दी गई इकाई को छोड़कर कुल 10 इकाई में से शेष बचे इकाई के लिए अनुदान का लाभ दिया जाएगा। शेष इकाई का लाभ नियमित रूप से वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन प्रारंभ रहने के उपरांत ही किया जायेगा।

(झ) प्रखंड कृषि पदाधिकारी प्रखंड स्तर पर प्राप्त आवेदन का संधारण पंचायतवार पंजी में करेंगे। किसानों को आवेदन की प्राप्ति रसीद दी जायेगी जिसपर पंजी क्रमांक एवं आवेदन प्राप्ति की तिथि अंकित होगी। आवेदनों की ऑन लाईन प्रविष्टी MIS में प्रखंड कृषि पदाधिकारी कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ट) अनुदान प्राप्त उत्पादन इकाई से वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन आगामी 05 वर्षों तक करना अनिवार्य होगा। किसानों को आवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र का प्रारूप अनुसूची–02 पर संलग्न है।

(ठ) योजनान्तर्गत सिर्फ किसान द्वारा ही आवेदन समर्पित किया जायेगा। किसी भी गैर सरकारी संस्था/अन्य संस्था द्वारा कृषि विभाग में समर्पित करने हेतु आवेदन प्राप्त नहीं किया जायेगा।

(2) <u>लक्ष्य का निर्धारण</u>–

(क) जिला कृषि पदाधिकारी जिलान्तर्गत स्वीकृत लक्ष्य को सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की संख्या के अनुसार उनके लक्ष्य को कर्णांकित करेंगे।

(ख) किसी पंचायत में लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि प्राप्त नहीं होने की स्थिति में प्रखंड कृषि पदाधिकारी पंचायतों में मॉग के अनुरूप एक पंचायत के लक्ष्य को दूसरे पंचायत में लक्ष्य का अन्तरपरिवर्तन कर सकते हैं। इसी प्रकार से जिला कृषि पदाधिकारी अपने जिला में एक प्रखंड के लक्ष्य को दूसरे प्रखड में स्थानान्तरित कर सकते हैं। परन्तु ये कार्य दिसम्बर माह के बाद ही किया जायेगा।

(3) <u>आवेदन पत्र की जॉच एवं स्वीकृति की प्रक्रिया</u>–

(क) किसान से प्राप्त आवेदन की जाँच प्रपत्र–03 में कृषि समन्वयक द्वारा की जायेगी।

(ख) जॉच आवेदन प्राप्ति के 07 दिनों के अंदर पूरी कर ली जायेगी। जॉच किसान के गॉव में जाकर स्थल पर की जायेगी। जॉच के क्रम में यह देखना आवश्यक होगा कि वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन के लिए कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ, गोबर आदि उपलब्ध है अथवा नहीं।

(ग) जॉचोपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा स्वीकृति पत्र प्रपत्र–04 में निर्गत किया जायेगा।

(घ) स्वीकृति पत्र में किसानों को देय अनुदान भुगतान की प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख होगा।

(4) <u>अनुदान भुगतान की प्रक्रिया</u>

(क.) लाभार्थी किसान द्वारा प्रपत्र–05 में अनुदान दावा समर्पित किया जायेगा।

(ख) प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक द्वारा प्रपत्र–06 में जॉच कर जॉच प्रतिवेदन प्रखंड कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ग) प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र, पहचान पत्र, अनुदान दावा, दावा सत्यापन प्रतिवेदन, केचुआ खाद इकाई की साथ किसान का फोटो एवं अन्य कागजात जिला कृषि पदाधिकारी को एक पक्ष के अंदर उपलब्ध कराया जायेगा।

(घ) पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई का अनुदान भुगतान हेतु विपत्र में ही लाभान्वित किसान की सूची, खाता संख्या सहित संलग्न की जाय, जिससे राशि सीधे किसान के खाता में ही जमा हो जाय। सरकार द्वारा D.B.T. (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से अनुदान राशि लाभान्वित किसान के खाते में जमा करने का निदेश है, जिसका पूर्णतः अनुपालन किया जाय। किसी भी परिस्थिति में एजेन्सी/संस्था को अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(ड.) पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई द्वारा वर्मी कम्पोस्ट का प्रथम खेप उत्पादन होने के बाद जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा।

**(5) <u>किसान सलाहकार का दायित्व</u>–**

(क) किसान सलाहकार वर्मी कम्पोस्ट के महत्व का पंचायत में प्रचार–प्रसार करेगें।
(ख) किसान सलाहकार आवेदन की स्वीकृति के उपरान्त लाभान्वित को वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन हेतु सहयोग प्रदान करेंगे।
(ग) किसान सलाहकार अनुदान प्राप्ति के पश्चात् किसान को वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन नियमित रूप से करने हेतु प्रेरित करेंगे।
(घ) किसानों को प्रति इकाई 4 से 5 किलो केचुआ क्रय कराने हेतु पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।
(ड.) किसान सलाहकार पंचायत अन्तर्गत किसान द्वारा उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट का पूर्ण ब्योरा पंजी में नियमित रूप से संधारण करेंगे।
(च) किसान सलाहकार अनुदान भुगतान के उपरांत वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन किये जाने के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

**(6) <u>कृषि समन्वयक का दायित्व</u>–**

(क) इस कार्यक्रम का अपने क्षेत्र में प्रचार–प्रसार करना।
(ख) प्रखंड स्तर पर किसानों का ऑन–लाईन आवेदन कराना।
(ग) प्राप्त आवेदन पत्रों की जॉच कर एक सप्ताह के अंदर जॉच प्रतिवेदन प्रखंड कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।
(घ) वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन हेतु लाभार्थी किसानों को तकनीकी जानकारी देना तथा उत्पादन करने में सहयोग करना।
(ड.) लाभार्थी किसान के अनुदान दावे का एक सप्ताह के अंदर सत्यापन सुनिश्चित करना।

**(7) <u>प्रखंड कृषि पदाधिकारी का दायित्व</u>–**

(क) प्रखंड स्तर पर इस कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार करना।
(ख) प्रखंड स्तर पर आवेदन पत्र प्राप्त करना तथा ऑन–लाईन करने की व्यवस्था करना।
(ग) प्रखड स्तर पर लाभार्थी किसानों के लिए पंजी का संधारण करना।
(घ) ससमय स्वीकृति पत्र निर्गत करना।
(ड.) किसान का अनुदान दावा सत्यापन प्रतिवेदन एवं अन्य कागजात ससमय जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।

(8) <u>जिला कृषि पदाधिकारी का दायित्व</u>–

(क) वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्वीकृति के साथ ही लाभान्वित को वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन का प्रशिक्षण का आयोजन सुनिश्चित करेंगे।

(ख) कलस्टर में लाभान्वितों का चयन करायेंगे ताकि प्रशिक्षण एवं पर्यवेक्षण में आसानी हो सके।

(ग) प्रति इकाई 4 से 5 किलो केचुआ की क्रय हेतु उपलब्ध कराने हेतु कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार को जवाबदेह बनाना सुनिश्चित करेंगे।

(घ) अनुदान प्राप्त वर्मी कम्पोस्ट इकाई पर उत्पादन हो इसका पर्यवेक्षण करेंगे।

(ड.) पूर्व में निर्मित वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई अगर बंद हो तो उसे भी चालू कराकर प्रारम्भ कराना।

(च) पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई का अनुदान भुगतान लाभान्वित को ही बैंक खाता में किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में किसी एजेन्सी एवं अन्य संस्था को अनुदान भुगतान नहीं किया जायेगा।

(छ) अनुदान प्राप्त वर्मी कम्पोस्ट इकाई का नियमित जाँच का कारगर व्यवस्था करेंगे, जिससे योजना का लाभ परिलक्षित हो सके।

(ज) उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट की मात्रा का आक्कलन करेंगे एवं उपयोग की सूचना का संकलन करेंगे।

(झ) प्राप्त आवेदनों की ऑन लाईन MIS में प्रविष्टि, समय पर कार्य पूर्णता, Photo uploading, अनुदान वितरण एवं उपयोगिता कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ञ) प्रत्येक माह के 05 वीं तिथि तक योजना के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से कृषि निदेशक एवं प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को अवगत कराना।

(9) <u>जिला नोडल पदाधिकारी का दायित्व</u>–

अपने जिला में इस कार्यक्रम की समीक्षा करना तथा होने वाली कठिनाईयों के संबंध में कृषि निदेशक, बिहार, पटना को अवगत कराना।

(10) <u>प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक का दायित्व</u>–

(क) अपने प्रमंडल अंतर्गत इस कार्यक्रम की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करना।

(ख) कठिनाईयों को अपने स्तर से निराकरण कराना तथा कृषि निदेशक, बिहार, पटना को इससे अवगत कराना।

(ग) मासिक प्रगति प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराना।

(11) <u>कृषि निदेशक का दायित्व</u>–

जैविक प्रोत्साहन कोषांग के माध्यम से इस कार्यक्रम की समीक्षा करना तथा प्रगति से विभाग को अवगत कराना।

18.8.16

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना

फोटोग्राफ

## अनुसूची–1
## पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई के माध्यम से वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई हेतु आवेदन पत्र

1. किसान का नाम : .....
2. पिता / पति का नाम : .....
3. किसान का पूर्ण पता :
   ग्राम ..... पोस्ट ..... प्रखण्ड .....
   थाना ..... जिला ..... दूरभाष / मो० .....
4. किसान का श्रेणी : ( ✓ का निशान लगायें।)
   (i) कृषक मजदूर / सीमान्त / लघु / मध्यम / बड़े किसान
   (ii) सामान्य / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति / अल्पसंख्यक
   (iii) पुरूष / महिला
5. बैंक खाता सं.....बैंक का नाम.....
   IFSC कोड सं. .....
6. मैं ..... / ..... / ..... / ..... फसलों की खेती करता हूँ।
7. पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई की कुल संख्या : .....
8. गोबर के लिए पशुओं की संख्या :
9. पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई के निर्माण स्थल का विवरणः–
   जिला–.....प्रखंड.....थाना सं0.....खाता सं0.....
   प्लौट सं0.....रकबा.....
10. पूर्व में अनुदान पर प्राप्त पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई की सं० (यदि हो तो).....

### घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे आवेदन में उपरोक्त वर्णित सारी सूचनाएँ सही है। मुझे ज्ञात है कि मेरे द्वारा निर्माण कार्य पूरा कर लेने तथा केंचुआ खाद के प्रथम खेप तैयार करने के लिए पीट में गोबर भरने एवं केंचुआ डालने के बाद अनुदान देय है।

**किसान का हस्ताक्षर**

---

आवेदन प्राप्ति का क्रमांक : ..... दिनांक : .....

**प्राप्त करने वाले कर्मी का नाम / पदनाम एवं हस्ताक्षर**

---

### प्राप्ति रसीद

श्री / श्रीमती ..... पिता का नाम .....
ग्राम .....प्रखण्ड..... .....जिला ..... से पक्का वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया। आवेदन प्राप्ति का पंजी क्रमांक ..... ..... दिनांक ..... है।

**प्राप्त करने वाले कर्मी का नाम / पदनाम एवं हस्ताक्षर**

## अनुसूची–2

## वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना हेतु किसान का शपथ–पत्र

मैं.....पिता.....ग्राम.....

थाना.....पो०.....जिला.....शपथपूर्वक ब्यान करता हूँ कि मेरे द्वारा अनुदान प्राप्त वर्मी कम्पोस्ट इकाई से कम से कम 5 वर्ष तक वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन किया जायेगा।

1. 5 वर्ष से पूर्व वर्मी कम्पोस्ट इकाई से उत्पादन बंद होने की स्थिति में अनुदान राशि की वसूली की जा सकेगी।
2. मुझे ज्ञात है कि अनुदान राशि का दुरूपयोग प्रमाणित होने पर मुझे अनुदान की राशि लौटानी होगी एवं मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

शपथकर्त्ता का हस्ताक्षर

पहचानकर्त्ता / गवाह

1.....

2.....

## अनुसूची–3

### वर्मी कम्पोस्ट इकाई के लिए आवेदन पत्र का स्थल जाँच–पत्र

1. किसान का नाम–

2. पिता / पति का नाम–

3. ग्राम.....प्रखण्ड.....जिला.....

4. किसान अपने गांव में रहते हैं (हॉ / नहीं)–

5. स्वयं खेती करते हैं अथवा नहीं–

6. वर्मी कम्पोस्ट इकाई के निर्माण हेतु जमीन की उपलब्धता–

7. पशुधन की उपलब्धता–

8. गोबर / कार्बनिक अपशिष्ट की उपलब्धता–

9. पूर्व में योजना का लाभ लिया गया है अथवा नहीं–

10. स्पष्ट मंतव्य–

.....

जॉचकर्ता का हस्ताक्षर

नाम–

पदनाम–

# अनुसूची–4

## वर्मी कम्पोस्ट इकाई के निर्माण हेतु स्वीकृति पत्र

पत्रांक : .....  दिनांक : .....

1. किसान का नाम : ..... पिता / पति का नाम : ..... ..... ग्राम ..... प्रखण्ड..... जिला..... आपके द्वारा समर्पित पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई संबंधी आवेदन पत्र जांचोपरांत सही पाया गया है।
2. आपको पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई की ..... इकाई की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई का आकार– योजना प्रावधान के अनुसार पक्का वर्मी बेड 10 फीट लम्बा, 3 फीट चौड़ा एवं 2.5 फीट गहरा, जिसकी धारक क्षमता 75 घनफीट होना चाहिए। दीवार की मोटाई कम से कम 5" होना चाहिए। पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई पूरी तरह से वर्षारोधी छप्पर से ढ़का होना चाहिए।
4. वर्मी कम्पोस्ट इकाई का पहला खेप तैयार करने हेतु पीट मे गोबर एवं कार्बनिक अवशिष्ट भरने एवं 04–05 किलो केचुआ प्रति पीट डालने एवं प्रथम खेप उत्पादन करने के उपरान्त अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा।
5. स्वीकृति पत्र में वर्णित मानक के अनुसार निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त अनुदान दावा समर्पित किया जाय। अनुदान दावे के साथ निर्माण की गई इकाई का लाभार्थी के साथ फोटोग्राफ समर्पित किया जाय, जिसमें वर्मी कम्पोस्ट परिलक्षित हो।
6. अनुदान दावे का स्थलीय सत्यापन के बाद अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा।
7. अनुमान्य अनुदान राशि 3000 रु॰ प्रति इकाई का भुगतान आपके बैंक खाता अंतरण के माध्यम से किया जायेगा।
8. स्वीकृति पत्र की निर्गत तिथि से तीन माह के अन्दर कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। ससमय कार्य पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में स्वीकृति पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

तिथि : .....

**प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी**

## अनुसूची–5

## अनुदान दावा हेतु किसान द्वारा समर्पित विहित प्रपत्र

1. किसान का नाम–

2. पिता/पति का नाम–

3. ग्राम.....प्रखण्ड.....जिला.....

4. बैंक खाता सं.....बैंक का नाम..... IFSC कोड सं. ..... ..... (पासबुक की छायाप्रति संलग्न)।

5. विभागीय स्वीकृति पत्र सं० ..... दिनांक .....

6. मेरे द्वारा निर्मित पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई का विवरण निम्न प्रकार है–

| गड्ढा सं0 | लम्बाई | चौड़ाई | गहराई | धारण क्षमता (घन फीट में) (लं०xचौ०xग०) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| कुल | | | | |

7. मेरे द्वारा अनुदान दावे के प्रमाण स्वरुप निम्नलिखित कागजात समर्पित किया जा रहा है–

   a. निर्धारित प्रपत्र में खर्च की गई राशि का विवरण

   b. केचुआ क्रय का कैशमेमो

   c. लाभार्थी के साथ इकाई का फोटोग्राफ

मुझे.....बैंक,.....शाखा के मेरे खाता संख्या–.. ..... IFSC कोड सं. ..... में अनुदान राशि का भुगतान किया जाय।

तिथि– किसान का नाम एवं हस्ताक्षर

(अनुदान दावे में किसान अपना नाम एवं हस्ताक्षर तथा तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे)

## अनुसूची–6

## वर्मी कम्पोस्ट इकाई के अनुदान दावे का सत्यापन

1. किसान का नाम–

2. पिता/पति का नाम–

3. ग्राम.....प्रखण्ड.....जिला.....

4. निर्मित इकाई का ब्योरा–

| पीट सं0 | लम्बाई | चौड़ाई | गहराई | धारण क्षमता (घन फीट में) (लं०x चौ०x ग०) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| कुल | | | | |

5. छप्पर का आकार–

6. पीट में गोबर/कार्बनिक अपशिष्ट की उपलब्धता

7. पीट मे केचुआ की उपलब्धता –

8. किसान द्वारा वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन किया जा रहा हैं अथवा नहीं–

9. इकाई का फोटोग्राफ लाभान्वित किसान के साथ–

10. स्पष्ट मंतव्य–

.....

जॉचकर्ता का हस्ताक्षर

नाम–

पदनाम–